विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा

प्रश्न संख्या तारांकित : 5002

उत्तर की तिथि : 09.03.2022

विषय : रेणुका बांध परियोजना

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी)

सम्बन्धित मन्त्री : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि रेणुका बांध का निर्माण आरम्भ होने से पूर्व सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन करवाएगी;	(क),(ख),(ग) व (घ) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है
(ख)	न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की अनुपालना में पेमेंट कब तक करवा दी जाएगी;	
(ग)	क्या सरकार बांध निर्माण कार्य शुरु होने से पहले एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले परिवारों के साथ–साथ सभी विस्थापितों का पुनर्स्थापन करने का विचार रखती है; और	
(घ)	क्या आवास–विहीन लोगों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली बढ़ी हुई पेमेंट न्यायालय द्वारा बांध का कार्य शुरु होने से पहले दी जाएगी ; ब्यौरा दें ?	

तारांकित प्रश्न संख्याः 5002 जो कि श्री विनय कुमार (रेणुकाजी) द्वारा रेणुका बांध परियोजना बारे पुछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :–

(क) रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण के लिए 2016 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से सामाजिक प्रभाव आकलन करवाया गया था। सामाजिक प्रभाव आकलन दोबारा करवाने सम्बंधी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) न्यायालय द्वारा तय किए गए 521 मामलों में से 229 मामलों में देय राशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष 292 मामलों में भुगतान, केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कर दिया जायेगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार सभी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि परियोजना का अधिगृहित क्षेत्र काफी व्यापक है, अतः परियोजना के निर्माण घटकों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से सम्पूर्ण विस्थापितों का अनुमोदित पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना के अनुसार पुनर्स्थापन किया जाएगा।

(घ) रेणुकाजी बांध परियोजना निर्माण में 259 (tentative) परिवारो की पहचान विस्थापित परिवारों के रूप में की गई है । विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु 417-11 बीघा (35 हैक्टेयर) भूमि जिला सिरमौर के चार विभिन्न स्थानों चाकली, सैनवाला, टोकियो और अम्बोया में खरीदी गयी है, जहां एच0पी0पी0सी0एल द्वारा निर्मित कॉलोनियों में विस्थापितों का पुनर्वास किया जाएगा। यदि कुछ लोग इन स्थानों पर बसने में रुचि नहीं रखते हैं, तो उन्हें अपनी भूमि पर बसने का विकल्प भी दिया जा रहा है और उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों को उपरोक्त चार वर्णित जगहों या उनकी अपनी जमीन पर बसाने के लिए इच्छा विकल्प प्रपत्र (consent format) आमन्त्रित किए गए हैं।

*****